आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(46)/लेखा/आकाशि/जनजाति छात्रवृति/इ7711/2023–24/ 9995 दिनांक– 15-03-2024

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने बाबत

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना तथा जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक 15.03.2024 से पोर्टल पुनः खोला जाता है–

क्र.स.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल पुनः प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
2	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
3	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
4	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
5	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
6	सहरिया जनजाति छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता	2023–24	15.03.2024	31.03.2024
7	सहरिया छात्र–छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	2023–24	15.03.2024	31.03.2024

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्र–छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक 955 दिनांक 30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें। जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

Signature valid

आयुक्त

Digitally signed by Harsh Sawansukha
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.03.15 1?:45:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6165855